भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1529

12 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

मूल उपकरण निर्माता

1529. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश को वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ता आधार में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या फेम-।। योजना को पांच वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया था और इसमें 15.62 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता देने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 की समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने देश को वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माताओं के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ता आधार में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम' को अनुमोदित किया है। स्कीम का बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-for-national-programme-on-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर है।

ii. 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों (एएटी) (इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों सहित) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। स्कीम के बारे में जानकारी https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry पर देखी जा सकती है।

(ख) और (ग): भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फ़ेम इंडिया चरण-II) को 01 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया जिसके लिए कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रूपए की है। इस चरण में मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने और मांग सृजन के माध्यम से 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। साथ ही, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

फेम इंडिया स्कीम के चरण-I। के अंतर्गत दिनांक 08.12.2023 की स्थिति के अनुसार 11,75,888 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5283.00 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि दी गई है (http://fame2.heavyindustries.gov.in/dashboard.aspx के अनुसार)। आर्थिक प्रोत्साहन-प्रदत्त इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वाहन प्रकार**	**वाहन की कुल संख्या**
1.	दुपहिया	10,38,724
2.	तिपहिया	1,22,345
3.	चौपहिया	14,819
कुल		**11,75,888**

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न शहरों/राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)/राज्य सरकार की इकाइयों को अंतःशहरी प्रचालनों के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसों की संस्वीकृति प्रदान की है। अद्यतन स्थिति अर्थात् अर्थात 29 नवंबर, 2023 के अनुसार, इन 6862 ई-बसों में से, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 1248 करोड़ रुपये के अनुदान से 3487 ई-बसों की आपूर्ति एसटीयू को की जा चुकी है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

****